


105



**न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर**

प्र.क. I/2012 निगरानी R-507-I/2012-

श्री डी.एस. चौधान,  
कांग्रेस दफ्तर, दिनांक  
1-3-12 को धरतुदा।

*[Signature]*  
1-3-12  
R 50

- 1. राम बालक सिंह } पुत्रगण
- 2. जय बालक सिंह } जगदीश सिंह
- 3. राकेश सिंह
- 4. जगदीश सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी  
ग्राम खजुरहरा तह. रघुराज नगर जिला  
सतना म.प्र.

----- आवेदकगण

ब्लाम

- 1. सरोज सिंह पत्नी चन्द्रपाल सिंह
- 2. छोटेलाल सिंह } पुत्रगण
- 3. रामखिलावन सिंह } श्यामसुन्दर सिंह
- 4. श्यामसुन्दर सिंह पुत्र रामसनेही सिंह  
निवासी ग्राम खजुरहरा तह रघुराज  
नगर जिला सतना म.प्र.

----- अनावेदकगण

*[Signature]*

डी.एस. चौधान  
एडवोकेट

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व  
संहिता 1959 (संशोधित दिनांक 30.12.2011) जो कि  
न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक  
235/10-11 निगरानी में दिनांक 04.02.2012, को पारित  
किया गया।

*[Signature]*

ला  
बद्ध  
हस्त  
हरा  
19ए0  
नं0  
न पर  
0 नं0  
न पर  
नेगरानी  
जियात  
ठित व  
/09-  
सीमांव

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-507-एक/2012

जिल सतना

रामबालक विरूद्ध सरोज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 235/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 04-02-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 05/3/2019</p>